अध्याय I : परिचय

1.1 लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की रुपरेखा

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत निम्नलिखित सगंठनों के वित्तीय लेन देन की लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है:

1.1.1 भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना का प्रधान नौसेनाध्यक्ष होता है। एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), भारतीय नौसेना का शीर्ष अंग तथा मुख्य प्रबन्धकीय संगठन है और नौसेना के कमान, नियंत्रण तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। भारतीय नौसेना की प्रचालनात्मक तथा अनुरक्षण इकाईयों में मुख्यतः युद्धपोत तथा पनडुब्बियां, गोदीबाड़ा, नौसेना जहाज़ मरम्मत बाड़े, अस्त्र-शस्त्र उपकरण डिपो तथा सामग्री संगठन शामिल हैं। भारतीय नौसेना का एक विमान विंग है जिसके अधीन वायु स्टेशन तथा संबद्ध मरम्मत सुविधाएं आती हैं। भारतीय नौसेना के पास युद्धपोत निरीक्षण दल भी हैं जो संबंधित पोतनिर्माण बाड़ों पर जहाज़ों तथा पनडुब्बियों के निर्माण को मॉनीटर करते हैं।

नौसेना की सैन्य भूमिका का उद्देश्य राष्ट्रीय हित के विरूद्ध किए गए हस्तक्षेप या कार्रवाई को रोकना और युद्ध की स्थिति में शत्रुओ को पूर्णतयः पराजित करने की योग्यता रखना है। वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय नौसेना के द्वारा राष्ट्र को दिए गए मुख्य योगदान[1] निम्न थेः

- लापता मलेशियाई वायुयान की खोज एवं बचाव अभियान।
- कर्मिकों को ईराक से निकालने हेतु नौसेना पोतों की तैनाती।
- जल दस्यु विरोधी क्रियाकलापों के लिए भारतीय नौसेना पोतों की तैनाती एवं मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की निगरानी।
- राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार सूचना (एनसी3आई) तंत्र की स्थापना।
- अपतटीय गश्ती पोतों एवं विध्वंसक श्रेणी के जहाजों का शामिल किया जाना।
- गोवा में मिग29के वायुयानों के परिचालनात्मक बेड़े की स्थापना।

[1] स्रोत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन

1.1.2 भारतीय तटरक्षक

भारतीय तटरक्षक का सृजन देश के व्यापक समुद्रतटों तथा समुद्रतटीय सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु किया गया था। महानिदेशक तटरक्षक, तटरक्षकों का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण सम्पादित करता है। तटरक्षक के पास स्मगलिंग, भारतीय समुद्री क्षेत्रों में अतिक्रमण आदि जैसे अवैध क्रियाकलापों के लिए समुद्र तट पर गश्ती के लिए विभिन्न प्रकार के गश्ती पोत हैं। तटरक्षक के पास तटवर्ती क्षेत्रों की गश्ती हेतु स्थायी तथा रोटरी विंग वायुयानों के साथ समुद्र पर तलाशी तथा बचाव मिशन कार्यान्वित करने के लिए एक विमान विंग भी है। विमान विंग के पास सभी तटवर्ती क्षेत्रों में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए तटरक्षक हवाई स्टेशन तथा हवाई एनक्लेव हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान तटरक्षक की मुख्य उपलब्धियां[2] निम्न थीः

- फ्रेजरगंज, पश्चिम बंगाल एवं निजामपट्टनम, आंध्र प्रदेश में तटरक्षक स्टेशनों की स्थापना।
- पाँच त्वरित गश्ती पोतों का शामिल किया जाना।
- चार एअर कुशन व्हीकल का शामिल किया जाना।
- नौ इंटरसेप्टर बोट्स का शामिल किया जाना।
- भुवनेश्वर में तटरक्षक एयर एनक्लेव की स्थापना।

1.1.3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चार रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र पोतनिर्माण बाड़े (डीपीएसएस) हैं, अर्थात मज़गांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)। चारों पोतनिर्माण बाड़े, देश की समुद्री सेनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के युद्धपोत तथा पोत बनाने में कार्यरत हैं। पोतनिर्माण बाड़ों का प्रबंधन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल में निहित है जिसकी सहायता कार्यात्मक निदेशकों द्वारा की जाती है। जबकि एमडीएल, जीआरएसई तथा जीएसएल, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं, एचएसएल का प्रशासनिक नियंत्रण फरवरी 2010 में जहाज़रानी मंत्रालय से हटा कर रक्षा मंत्रालय को दे दिया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र पोतनिर्माण बाड़ों की मुख्य उपलब्धियां निम्न थीः

- एमडीएल ने भारतीय नौसेना को प्रथम पी-15ए विध्वंसक की सुपुर्दगी की तथा पी-17ए श्रेणी के चार फ्रिगेट्स के निर्माण एवं सुपुर्दगी के लिए भारतीय नौसेना के साथ संविदा किया।

[2] स्रोत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन

- जीआरएसई ने प्रथम पनडुब्बी विरोधी युद्ध कॉर्वेट्ट "आईएनएस कामोर्ता" को भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया।
- जीएसएल ने चतुर्थ अपतटीय गश्ती पोत को नौसेना को सुपुर्द किया।
- एचएसएल ने भारतीय नौसेना के विभिन्न पोतों के मरम्मत का कार्य लिया जिसमें आईएनएस दर्शक, आईएनएस शक्ति एवं आईएनएस कामोर्ता के रिफिट शामिल है।

  प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत निम्नलिखित सगंठनों के वित्तीय लेन देन की लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से भी संबंधित है:

- रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और मुख्यत: भारतीय नौसेना को समर्पित इसकी प्रयोगशालायें।
- भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक से संबंधित रक्षा लेखा विभाग।
- भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक से संबंधित सैन्य अभियंता सेवाएँ।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों और सेवाओं की स्थिति) अधिनियम 1971, लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियम 2007, लेखापरीक्षा की विस्तृत कार्यप्रणाली और उसके प्रतिवेदन के लिए प्राधिकार देते हैं।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा नौसेना, नई दिल्ली का कार्यालय, मुम्बई, विशाखापटनम तथा कोच्चि के अपने तीन शाखा कार्यालयों के साथ भारतीय नौसेना, तटरक्षक तथा अन्य संबंधित संगठनों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। एमडीएल, जीआरएसई, जीएसएल तथा एचएसएल की लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड IV, बेंगलूरू द्वारा की जाती है।

1.3 लेखापरीक्षा की प्रणाली एवं कार्यविधि

लेखापरीक्षा को जोखिमों के विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है ताकि प्रमुख प्रचालन इकाईयों में उनके महत्व का आकलन किया जा सके। किया गया व्यय, प्रचालनात्मक महत्व, पिछली लेखापरीक्षा के परिणाम तथा आन्तरिक नियंत्रण की शक्ति उन मुख्य कारकों में से है जो जोखिमों की तीव्रता को निर्धारित करते हैं।

एक सत्व/ इकाई के लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/मामलों के विवरणों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा की गई इकाई से प्राप्त उत्तर पर विचार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप या तो लेखापरीक्षा आपत्ति का निपटान कर दिया जाता है या आगामी लेखापरीक्षा चक्र में अनुपालन हेतु संदर्भित किया जाता है। अतिगम्भीर अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रोसेस की जाती हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151, के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाएं, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की व्याख्या, एंट्री कॉन्फ्रेंस के आयोजन, इकाईयों के नमूनों, एग्जिट कॉन्फ्रेंस, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर फीडबैक को शामिल करने तथा अन्तिम रिपोर्ट जारी करने के माध्यम से की जाती है।

1.4 रक्षा बजट

रक्षा बजट विस्तृत रुप से राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध है। जबकि राजस्व व्यय में वेतन एवं भत्ते, भण्डार, परिवहन तथा कार्य सेवाएं आदि सम्मिलित हैं, पूंजीगत व्यय में नए पोतों, पनडुब्बियों, शस्त्रों, गोलाबारुद की खरीद तथा पुराने भण्डार का प्रतिस्थापन और निर्माण कार्य में आने वाला व्यय समावेशित है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान रक्षा व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: कुल रक्षा बजट आबंटन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्णन	वर्ष				
	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
बजट आवंटन	1,56,127	1,78,891	1,98,526	2,17,649	2,54,000
वास्तविक व्यय	1,58,723	1,75,898	1,87,469	2,09,789	2,37,394

विगत पाँच वर्षों के दौरान रक्षा व्यय में 2010-11 में ₹1,58,723 करोड़ से 2014-15 में ₹2,37,394 करोड़ अर्थात 49.56 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। रक्षा व्यय 2014-15 में पिछले वर्ष के व्यय से 13.16 प्रतिशत बढ़ गया। 2014-15 में रक्षा सेवाओं के कुल व्यय में भारतीय नौसेना का हिस्सा ₹36,622 करोड़ अर्थात 15.43 प्रतिशत था।

1.5 नौसेना का बजट एवं व्यय

भारतीय नौसेना के संबंध में 2010-11 से 2014-15 के दौरान विनियोग तथा व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई हैः

तालिका 1.2 : विनियोग एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्णन		वर्ष				
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
अन्तिम अनुदान	**पूंजीगत**	16,905	17,922	17,066	19,386	21,807
	राजस्व	10,010	12,347	12,755	13,364	14,536
	जोड़	**26,915**	**30,269**	**29,821**	**32,750**	**36,343**
वास्तविक व्यय	**पूंजीगत**	17,140	19,212	17,760	20,359	22,270
	राजस्व	10,145	12,059	12,119	13,472	14,352
	जोड़	**27,285**	**31,271**	**29,879**	**33,831**	**36,622**
कुल आधिक्य/बचत (+)(-)	**पूंजीगत**	(+)235	(+)1,290	(+)694	**(+)**973	(+)463
	राजस्व	(+)135	(-)288	(-)636	(+)108	(-)184
	जोड़	**(+)370**	**(+)1,002**	**(+)58**	**(+)1,081**	**(+)279**

स्त्रोतः रक्षा सेवाओं के वर्ष-वार विनियोग लेखे।

पाँच वर्ष के लिए विनियोग लेखाओं, रक्षा सेवाओं का विश्लेषण, संगत वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, संघ – सरकार के लेखे में शामिल किया गया था।

1.5.1 नौसेना व्यय

भारतीय नौसेना के व्यय का विस्तृत सार निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.3 : भारतीय नौसेना का व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्णन	वर्ष				
	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
कुल रक्षा व्यय	1,58,723	1,75,898	1,87,469	2,09,789	2,37,394
कुल नौसेना व्यय	27,285	31,270	29,879	33,831	36,622
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	(+)18.96	(+)14.61	(-) 4.45	(+)13.23	(+)8.25
कुल रक्षा व्यय के प्रतिशतता के रूप में	17.19	17.78	15.94	16.13	15.43
राजस्व व्यय	10,145	12,059	12,119	13,472	14,352
पूंजीगत व्यय	17,140	19,211	17,760	20,359	22,270

स्त्रोत: रक्षा सेवाओं के वर्ष–वार विनियोग लेखे

2010-15 के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किया गया कुल व्यय रक्षा व्यय के 15.43 और 17.78 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2014-15 में, भारतीय नौसेना का व्यय, पिछले वर्ष की तुलना में 8.25 प्रतिशत बढ़ कर ₹33,831 करोड़ से ₹36,622 करोड़ हो गया।

1.5.2 पूंजीगत व्यय

भारतीय नौसेना के लिए विगत पांच वर्षों (2010-11 से 2014-15) के लिए विभिन्न श्रेणियों के प्रति व्यय का औसत वार्षिक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4 : भारतीय नौसेना का पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मद	वर्ष				
	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
नौसेना बेड़ा	10,620 (62%)	10,320 (54%)	11,074 (62%)	8,151 (40%)	13,355 (60%)
नौसेना गोदीबाड़ा	720 (4%)	648 (3%)	752 (4%)	633 (3%)	635 (3%)
विमान एवं एयरो इंजन	3,187 (19%)	4,336 (23%)	1,695 (10%)	7,746 (38%)	3,248 (15%)
निर्माण कार्य	637 (4%)	515 (3%)	527 (3%)	516 (3%)	646 (3%)
अन्य उपस्कर[3]	1,578 (9%)	2,583 (13%)	2,773 (16%)	2,630 (13%)	3,654 (16%)
अन्य	398 (2%)	809 (4%)	939 (5%)	683 (3%)	731 (3%)
जोड़	**17,140**	**19,211**	**17,760**	**20,359**	**22,270**[4]

स्त्रोतः रक्षा सेवाओं के वर्ष–वार विनियोग लेखे

भारतीय नौसेना का पूंजीगत व्यय 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान ₹17,140 करोड़ से बढ़कर ₹22,270 करोड़ हो गया अर्थात इसमे 29.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में नौसेना के पूंजीगत व्यय में 2013-14 में ₹20,359 करोड़ से 2014-15 में ₹22,270 करोड़ अर्थात 9.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान पूंजीगत व्यय का महत्वपूर्ण भाग (60 प्रतिशत) नौसैनिक बेड़े पर व्यय किया गया, 16 प्रतिशत अन्य उपकरणों, 15

[3] अन्य उपकरणों में इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स, शस्त्र उपकरण, अन्तरिक्ष तथा उपग्रह उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण आदि शामिल हैं।

[4] वास्तविक आंकड़ा ₹22,269.66 करोड़ है, जिसका पूर्णांक ₹22,270 करोड़ है।

प्रतिशत विमानों तथा एयरों इंजन की खरीद तथा 3 प्रतिशत प्रत्येक नौसेना गोदीबाड़े, निर्माण कार्य एवं अन्य पर खर्च किए गए।

1.5.3 राजस्व व्यय

पिछले पांच वर्षों के लिए राजस्व व्यय की विभिन्न श्रेणियों के प्रति व्यय का वितरण नीचे दर्शाया गया हैः

तालिका 1.5 : भारतीय नौसेना का राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मद	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वेतन एवं भत्ते	3,731 (37%)	4,508 (37%)	4,697 (39%)	5,085 (38%)	5,788 (40%)
भण्डार	3,437 (34%)	4,173 (35%)	3,982 (33%)	4,619 (34%)	4,151 (29%)
कार्य	701 (7%)	763 (6%)	760 (6%)	1,031 (8%)	1,124 (8%)
परिवहन	288 (2%)	353 (3%)	380 (3%)	347 (3%)	355 (3%)
मरम्मत/ रीफिट	606 (6%)	768 (6%)	654 (5%)	593 (4%)	863 (6%)
अन्य	1,382 (14%)	1,494 (12%)	1,646 (14%)	1,797 (13%)	2,071 (14%)
जोड़	**10,145**	**12,059**	**12,119**	**13,472**	**14,352**

स्त्रोत: रक्षा सेवाओं के वर्ष–वार विनियोग लेखे

2010-11 से 2014-15 तक पॉच वर्ष की अवधि के दौरान, भारतीय नौसेना का राजस्व व्यय 2010-11 में ₹10,145 करोड़ से 41 प्रतिशत बढ़ कर 2014-15 में ₹14,352 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष 2013-14 में ₹13,472 करोड़ की तुलना में भारतीय नौसेना का राजस्व व्यय 2014-15 में 6.53 प्रतिशत बढ़कर ₹14,352 करोड़ हो गया। नौसेना का राजस्व व्यय मुख्यतः वेतन एवं भत्ते तथा भण्डार पर क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत किया गया था।

1.5.4 वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना के व्यय का प्रवाह

2014-15 के दौरान पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का प्रवाह निम्न चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.1 : 2014-15 के दौरान भारतीय नौसेना के व्यय का प्रवाह

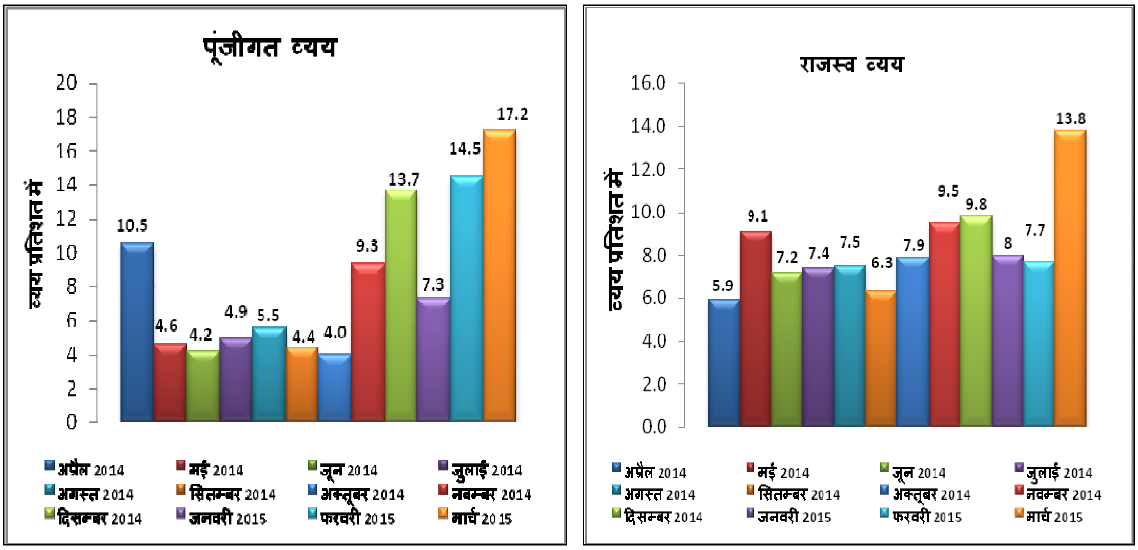

स्त्रोत: रक्षा मंत्रालय (वित्त) बजट-I अनुभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

व्यय के प्रवाह की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2015 में भारतीय नौसेना का पूंजीगत व्यय 17.2 प्रतिशत था तथा 39 प्रतिशत पूंजीगत व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जो मार्च के महीने में 15 प्रतिशत की सीमा तथा अन्तिम तिमाही की 33 प्रतिशत की सीमा के अन्दर नहीं था जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। तथापि, राजस्व व्यय, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर ही था।

1.6 तटरक्षक का बजट एवं व्यय

तटरक्षक का बजट रक्षा मंत्रालय के असैन्य अनुदान का भाग है। राजस्व तथा पूंजीगत के लिए प्रदत्त राशि क्रमशः मुख्य शीर्ष 2037- 'सीमा शुल्क (बचाव तथा अन्य कार्य – तटरक्षक संगठन)' तथा 4047- 'वित्तीय सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय, सीमा शुल्क (तटरक्षक संगठन)' के अंतर्गत है। रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक व्यय के लिए पृथक प्रमुख शीर्ष नहीं खोले गए हैं।

1.6.1 तटरक्षक व्यय

आबंटन तथा व्यय का विस्तृत सार निम्न तालिका में दिया गया हैः

तालिका 1.6 : तटरक्षक का व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्णन		वर्ष				
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
अन्तिम अनुदान/ विनियोग	**पूंजीगत**	1,200	1,600	1,565	1,060	1,140
	राजस्व	816	933	960	1,018	1,295
	जोड़	**2,016**	**2,533**	**2,525**	**2,078**	**2,435**
व्यय	**पूंजीगत**	1,201	1,575	1,565	1,070	1,142
	राजस्व	814	926	945	1,048	1,286
	जोड़	**2,015**	**2,501**	**2,510**	**2,118**	**2,428**

(स्त्रोत: तटरक्षक मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

तटरक्षक का व्यय 2010-11 से 2014-15 तक ₹2,015 करोड़ तथा ₹2,510 करोड़ के बीच था। पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में व्यय में 14.64 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। निरपेक्ष संदर्भ में तटरक्षक का व्यय 2013-14 में ₹2,118 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹2,428 करोड़ हो गया।

तटरक्षक का पूंजीगत व्यय 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान ₹1,070 करोड़ तथा ₹1,575 करोड़ के बीच था, जबकि तटरक्षक का राजस्व व्यय 2010-11 में ₹814 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹1,286 करोड़ हो गया अर्थात तटरक्षक के राजस्व व्यय में 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान 57.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

पिछले वर्ष की तुलना में तटरक्षक का पूंजीगत व्यय 2014-15 में लगभग 6.72 प्रतिशत बढ़कर ₹1,070 करोड़ से ₹1,142 करोड़ हो गया। तटरक्षक का राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22.71 प्रतिशत बढ़कर ₹1,048 करोड़ से 2014-15 में ₹1,286 करोड़ हो गया।

1.6.2 वर्ष के दौरान व्यय का प्रवाह

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014-15 के दौरान पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के प्रवाह की जांच की, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 1.2 : वर्ष 2014-15 के दौरान तटरक्षक के व्यय का प्रवाह

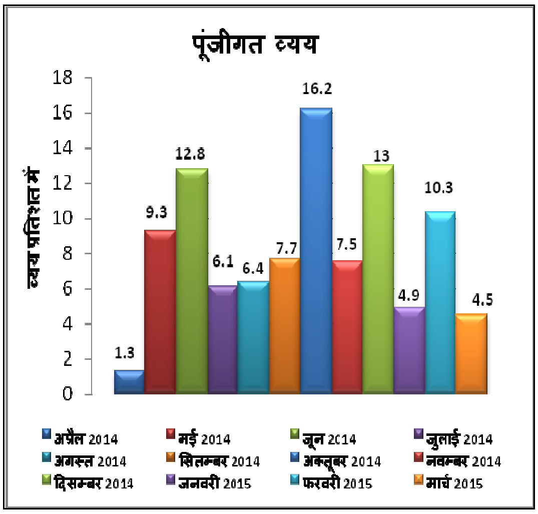

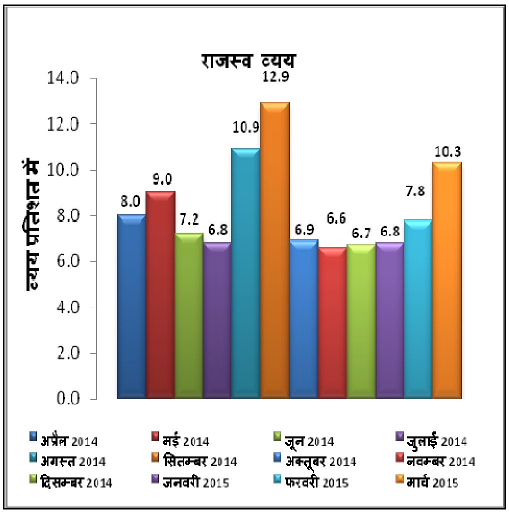

(स्त्रोत: तटरक्षक मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

व्यय की संवीक्षा से पता चला कि तटरक्षक ने पूंजीगत व्यय का 4.5 प्रतिशत मार्च 2015 के महीने में खर्च किया तथा 19.7 प्रतिशत पूंजीगत व्यय अन्तिम तिमाही में किया जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई मार्च के महीने में 15 प्रतिशत की सीमा तथा अन्तिम तिमाही की 33 प्रतिशत की सीमा के अन्दर था। राजस्व व्यय भी वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर ही था।

1.7 नौसेना तथा तटरक्षक की प्राप्तियां

2014-15 को समाप्त पिछले पांच वर्षों की अवधि में नौसेना तथा तटरक्षक से संबंधित प्राप्तियां तथा पुनः प्राप्तियों का विवरण, जो कि उन्होंने अन्य संगठनों/विभागों की सेवाओं में उपलब्ध कराए थे, नीचे सारणी में दिए गए है:

तालिका 1.7: भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक की राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
नौसेना के संबंध में प्राप्ति तथा वसूली	165.68	154.94	285.07	437.89	673.13
तटरक्षक के संबंध में प्राप्ति तथा वसूली	13.33	06.73	34.41	27.19	24.60

(स्त्रोत: प्रत्येक वर्ष (नौसेना के लिए) के लिए रक्षा सेवा अनुमानों में दी गई वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़े तथा तटरक्षक मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार।)

नौसेना के संबंध में प्राप्ति और वसूलियों में 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान ₹165.68 करोड़ से लेकर ₹673.13 करोड़ अर्थात 306.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान तटरक्षक के संबंध में प्राप्ति और वसूली ₹6.73 करोड़ से ₹34.41 करोड़ के मध्य रही।

नौसेना के संबंध में प्राप्ति और वसूलियों ने पिछले वर्ष 2013-14 में ₹437.89 करोड़ की तुलना में 2014-15 में ₹673.13 करोड़ अर्थात 53.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई, जबकि तटरक्षक के संबंध में प्राप्ति और वसूलियों ने पिछले वर्ष 2013-14 में ₹27.19 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹24.60 करोड़ अर्थात 9.52 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई।

1.8 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

1.8.1 पूर्व प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा के पैराग्राफों पर की गई कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की कि 31 मार्च 1996 और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी पैराग्राफों पर संसद में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के चार महीने के भीतर की गई कार्यवाही टिप्पणी (एटीएन), लेखापरीक्षा द्वारा जाँच कराकर, प्रस्तुत कर दिए जाएं।

31 जनवरी 2016 को नौसेना तथा तटरक्षक से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर बकाया की गई कार्यवाही टिप्पणी की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.8 : एटीएन की स्थिति

एटीएन की स्थिति	नौसेना एवं तटरक्षक	रक्षा पोतनिर्माणियां
लेखापरीक्षा पैराग्राफ/प्रतिवेदन जिन पर मंत्रालय द्वारा एटीएन पहली बार भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं।	3	1
लेखापरीक्षा पैराग्राफ/प्रतिवेदन जिन पर संशोधित एटीएन प्रतीक्षित है	27	0

1.8.2 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर अपना प्रत्युत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेज दें।

"स्वदेशी विमानवाहक पोत के निर्माण" पर ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्र द्वारा फरवरी 2015 में भेजा गया था, तत्पश्चात संशोधित ड्राफ्ट अक्तूबर 2015 में भेजा गया था। इसी प्रकार, दिसम्बर 2015 तथा जनवरी 2016 के दौरान ड्राफ्ट पैराग्राफ मंत्रालय को भेजे गए तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने और निर्दिष्ट छः सप्ताह के अन्दर अपना प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन किया गया।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद, रक्षा मंत्रालय ने प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों में से स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण पर निष्पादन लेखा परीक्षा सहित पैराग्राफों का उत्तर नहीं दिया। अतः इन पैराग्राफों के बारे में मंत्रालय की टिप्पणी सम्मिलित नहीं की जा सकी।

1.9 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर बचत

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹4.09 करोड़ के विशिष्ट प्रकृति के निम्नलिखित बचत किए गए:

क. शॉपिंग सेंटर के निर्माण के प्रशासनिक अनुमोदन का रद्द होना

आवास पैमाना, रक्षा सेवाएं (एसएडीएस) के पैरा 3.42.1 में प्रावधान है कि यदि प्रमुख विवाहित परिसर से दो कि.मी. के अन्दर कोई खरीददारी सुविधा विद्यमान न हो तो एक शॉपिंग सेन्टर उपलब्ध कराया जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्तूबर 2011) कि मुख्यालय पश्चिमी नौसेनिक कमान (एचक्यूडब्लूएनसी), मुम्बई ने इस तथ्य के बावजूद कि नियोजित सुविधा के दो कि.मी. के अन्दर दो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विद्यमान थे, ₹3.38 करोड़ की अनुमानित लागत पर "कोलाबा, मुम्बई में नाविकों के विवाहित स्थान पर त्रुटिपूर्ण एकीकृत शॉपिंग सेंटर, बैंक तथा डाकघर के प्रावधान" के कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (एए) प्रदान किया गया था (मार्च 2011)।

लेखापरीक्षा टिप्पणी (अक्तूबर 2011) के अनुसरण में, प्रयोक्ता इकाई, अर्थात आईएनएस, आंग्रे ने एचक्यूडब्लूएनसी को सिफारिश की (अप्रैल 2014) कि उसके कार्मिकों के परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक आकांक्षा के कारण कार्य रद्द कर दिया जाए। एचक्यूडब्लूएनसी ने सूचित किया (फरवरी 2015) कि ₹3.38 करोड़ की लागत के कार्य हेतु एए लेखापरीक्षा के कहने पर रद्द कर दिया गया था (अप्रैल 2014)।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2016) में स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर एए रद्द किया गया था।

ख. यूनिट द्वारा चलाई गई कैंटीनों के निर्माण के प्रशासनिक अनुमोदन का रद्द होना

यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीने (यूआरसीज़), कैंटीन भण्डार विभाग का परचून भाग हैं। यूआरसीज के निर्माण हेतु आवास के पैमाने में कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने ₹90.04 लाख[5] की कुल लागत पर अक्तूबर 2006 तथा फरवरी 2013 के बीच तटरक्षक मुख्यालय (सीजीएचक्यू), नई दिल्ली द्वारा जारी तीन संस्वीकृतियां[6] देखी (मई 2014)। ₹42.79 लाख की लागत पर तीन यूआरसीज़[7] में से दो का निर्माण पूरा हो चुका था।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, सीजीएचक्यू ने कहा (सितम्बर 2015) कि पहले से ही निर्मित दो यूआरसीज़ पुनः विनियोजित की जाएंगी। सीजीएचक्यू ने यह भी सूचित किया (फरवरी 2016) कि ₹39.35 लाख की तीसरी यूआरसी की संस्वीकृति रद्द कर दी गई थी (दिसम्बर 2015)।

तथ्य यह है कि तीसरी संस्वीकृति के रद्द होने के बावजूद, ₹42.79 लाख की लागत पर निर्मित दो यूआरसीज का पुनर्विनियोजन भी अनियमित है।

ग. ट्रांसमीटर के आपूर्ति आदेश का रद्द होना

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2014) कि ₹31.94 लाख की कुल लागत पर मई तथा सितम्बर 2013 के बीच तटरक्षक (सीजी) द्वारा दिए गए तीन आपूर्ति आदेशों के प्रति कोई भी संचार उपकरण प्राप्त नहीं हुआ था तथा मांग की पूर्ति वैकल्पित सैटों[8] के द्वारा की जा रही थी।

सीजी ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (जनवरी 2015) कि फर्म को दिए गए सभी तीनों आपूर्ति आदेश रद्द कर दिए गए थे जिसके कारण ₹31.94 लाख की बचत हुई।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

---

[5] ₹90.04 लाख (ओखा ₹23.14 लाख + दमन ₹27.55 लाख + कोच्चि ₹39.35 लाख)

[6] तीन सीजी स्टेशनों अर्थात ओखा, दमन एवं कोच्चि पर यूआरसी के निर्माण हेतु

[7] यूआरसीज़ का निर्माण ओखा में सितम्बर 2008 में तथा दमन में जनवरी 2012 में पूरा हुआ।

[8] यूनिटों को अतिरिक्त संचार सैट आपूर्त किए जाते हैं जो किसी भी सैट के खराब /अप्रचलित होने की दशा में अतिरिक्त सैट के रूप में कार्य करते हैं।

1.10 प्रतिवेदन के संबंध में

इस प्रतिवेदन के अंतर्गत एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 10 ऑडिट पैराग्राफ चार अध्यायों में सम्मिलित हैं जो निम्न हैं:

- अध्याय-II के अंतर्गत (स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण) पर निष्पादन लेखा परीक्षा।
- अध्याय-III के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय से संबंधित दो ऑडिट पैराग्राफ।
- अध्याय-IV के अंतर्गत भारतीय नौसेना से संबंधित सात ऑडिट पैराग्राफ।
- अध्याय-V के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक से संबंधित एक ऑडिट पैराग्राफ।